क्रम तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

भीखू राम, पिता-स्व0 कैला राम, ग्राम-सरौनी खुर्द, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग अंचल-सदर, ग्राम-सरौनी खुर्द, थाना नं0-223, खाता संख्या-33, प्लॉट संख्या-945, रकवा-08 डी0 भूमि गुड़िया देवी, पति-नकुल राम, ग्राम-केरेडारी, थाना-केरेडारी, जिला-हजारीबाग के नाम भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमीशन वाद संख्या 77/2021 प्रारम्भ कर आम इस्तेहार का तामिला कराते हुए विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन की माँग अंचल अधिकारी, सदर से की गई।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि –

क्रेता गुड़िया देवी एवं विक्रेता भीखू राम अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं तथा एक ही जिला के निवासी हैं। बिक्री की अनुमति के पश्चात आवेदक भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आयेंगे। आवेदक को भूमि बेचने का पूर्ण अधिकार है। बिक्री की अनुमति के पश्चात् आवेदक के पास रकवा लगभग 1.78 एकड़ भूमि बचेगी। खतियान के अनुसार भूमि रैयती खाते की है एवं गगना भुईयां के नाम दर्ज है। भूमि आवेदक को खतियान से हासिल है। पंजी-II के पृष्ट सं0 33/I पर गगना भुईयां के नाम जमाबंदी कायम है एवं ऑनलाईन रसीद वर्ष 2020-21 तक निर्गत है। साथ ही लगान रसीद की छायाप्रति भी संलग्न की गयी है।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा भी विक्रेता को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि के बिक्री क्रेता को करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के साथ संलग्न विक्रेता भीखू राम का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2021/10217 दिनांक-01.02.2021 एवं अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCSC/2021/02550 दिनांक-02.02.2021 और क्रेता गुड़िया देवी का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या-JHRC/2021/123972 दिनांक-06.03.2021 एवं अंचल अधिकारी, केरेडारी, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCSC/2021/33309 दिनांक-07.03.2021 के आधार पर तथा अंचल

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश ... कार्रवाइ... टिप्पणी ...
1	2	3
	अधिकारी, सदर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर, ग्राम-सरौनी खुर्द, थाना नं0-223, खाता संख्या-33, प्लॉट संख्या-945, रकवा-08 डी0 भूमि को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.02.15 15:29:47 +05:30
Location: 192.168.100.2